अनुसूची 14 फारम सं. 562

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका।

Rajni Kewatin
Vrs
Deepak Kewat

आदेश फलक
देखे अभिलेख हस्तक1949 का नियम129

आदेश पत्रक ता0..................................से..................................तक

जिला **RMA** सं0..........................35........................सन् 2021-22

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.
28.12.2021	यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एम0पी0 वाद सं0-105/2021 में पारित आदेश दिनांक-04.10.2021 एवं 21.12.21 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अभिलेख में उपलब्ध निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-रसिकपुर, वार्ड नं0-01 का वसौड़ी जमाबंदी नं0-02 दाग नं0-341/1187 रकवा 01 कट्ठा 10 धूर जमीन उत्तरकारी विक्रय पत्र (Sale dead) सं0-640/514 वर्ष 2016 में श्रवण कुमार आस एवं अन्य से क्रय किया गया है। अंचल कार्यालय, दुमका से उत्तरकारी के नाम नामांतरण होकर शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है। उस क्रय जमीन पर स्थित मकान में अपीलकर्त्ता काफी वर्षो से रह रही है। उत्तरकारी द्वारा उन्हें उक्त मकान को खाली करवाने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया जिसके आधार पर अपीलकर्त्ता को एक सप्ताह के अंदर उक्त जमीन पर अवस्थित मकान को खाली करके उत्तरकारी दीपक केवट को सुपुर्द करने का आदेश है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि वे काफी दिनो से उक्त मकान पर रह रही है तथा वह उत्तरकारी का फुफी लगती है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रश्नगत जमीन के मकान को खाली करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का आदेश को निरस्त करने का अनुरोध की है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह सत्यापित नहीं किया गया है कि अपीलकर्त्ता तथा प्रतिवादी के बीच Landlord ओर Tenant का संबंध है। ज्ञातव्य है कि Jharkhand Building (Lease Rent & Eviction) Control Act, 2011 के अन्तर्गत eviction से संबंधित निर्णय के पूर्व Landlord तथा Tenant का संबंध सत्यापित कराना आवश्यक है। उभय पक्षो को सुनकर आदेश पारित करे। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई अंगीकृत बिन्दु पर ही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त, दुमका। उपायुक्त, दुमका।	319 [illegible]-31/12/21.

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:18:35 +05:30
Location: 169.254.227.244